भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3812

उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025

सोमवार, 03 चैत्र, 1947 (शक)

महाराष्ट्र में परिचालन कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थिति

3812. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर: श्री नरेश गणपत म्हस्के:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत महाराष्ट्र में वर्तमान में चल रहे कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा क्या है तथा पहुंच और दक्षता की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में यह किस प्रकार बेहतर है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कुल कितने नामांकन हुए तथा कितने प्रतिशत प्रशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा किया है;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र में पीएमकेवीवाई स्नातकों के लिए रोजगार और नौकरी के अवसरों का रिकॉर्ड रखती है और यदि हां, तो प्रशिक्षित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त रोजगार के अवसरों के संबंध में आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कौशल प्रशिक्षण और वास्तविक रोजगार के बीच के अंतर को पाटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षित युवा अपने-अपने क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार प्राप्त कर सकें; और

(ङ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में पीएमकेवीवाई की प्रभावकारिता निर्धारण के लिए इसका कोई गहन मूल्यांकन किया है तथा कार्यक्रम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या परिवर्तन किए जाने की योजना है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) महाराष्ट्र सहित देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुनर्कौशलीकरण प्रदान करने के लिए 2015 से अपनी प्रमुख योजना, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को लागू कर रहा है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, 2022-23 से 31.12.2024 तक, देश भर में 14,843 मान्यता प्राप्त और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 36 जिलों में महाराष्ट्र राज्य के 684 टीसी सहित 734 जिले शामिल हैं।

(ख) पीएमकेवीवाई के तहत, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक, 1,60,316 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है, जिनमें से 56% यानी 90,034 को महाराष्ट्र में प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

(ग) और (घ) पीएमकेवीवाई योजना के तहत, पीएमकेवीवाई योजना के पहले तीन संस्करणों में शॉर्ट-टर्म ट्रेनिंग (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 है, जिन्हें वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किया गया है। पीएमकेवीवाई के पहले तीन संस्करणों के दौरान, महाराष्ट्र में 80,950 उम्मीदवारों को नियोजित किए जाने की सूचना मिली है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कौशल प्रशिक्षण और वास्तविक रोजगार के बीच की खाई को पाटने के लिए, बाजार की मांग के अनुसार राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) से जुड़े पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा, रोजगार के अवसरों को सक्षम करने के लिए, कौशल, शिक्षा, रोजगार और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए एसआईडीएच पोर्टल पर उपलब्ध है। शिक्षुओं को वास्तविक दुनिया का अनुभव और उद्योग का अनुभव सुनिश्चित करने के लिए ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और रोजगार कौशल को अल्पकालिक कौशल कार्यक्रमों में एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, एक वर्ष की अवधि के लिए उम्मीदवारों की प्रमाणन के बाद ट्रैकिंग शामिल है। साथ ही, प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं और उम्मीदवारों के बीच सक्रिय बातचीत सुनिश्चित करने के लिए, देश भर में रोजगार मेले आयोजित किए जाते हैं।

(ङ) अक्टूबर 2020 में नीति आयोग द्वारा नौकरियों और कौशल क्षेत्र के अंतर्गत पीएमकेवीवाई 2.0 का मूल्यांकन किया गया था। मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखे गए और आरपीएल घटक के तहत प्रशिक्षण पूरा करने वाले 52 प्रतिशत उम्मीदवारों को उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने उन साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा जिनके पास कोई प्रमाणन नहीं है। साथ ही, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा आयोजित पीएमकेवीवाई 2.0 (2016-20) के तीसरे पक्ष के प्रभाव मूल्यांकन के अनुसार, आरपीएल प्रमाणित उत्तरदाताओं में से 75% से अधिक ने स्वीकार किया है कि आरपीएल कार्यक्रम ने उन्हें दूसरा रोजगार पाने के अवसरों को बेहतर बनाने और अपने वर्तमान रोजगार के लिए अपने तकनीकी और सॉफ्ट कौशल को बेहतर बनाने में मदद की है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत किए गए प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं:

i. कौशल अंतराल अध्ययन और पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप मांग आधारित कौशल की शुरुआत की गई है।

ii. अल्पकालिक कौशल कार्यक्रमों के भीतर ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) का एकीकरण, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षुओं को वास्तविक दुनिया का अनुभव और उद्योग का अनुभव प्राप्त हो;

iii. शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई), केंद्रीय और राज्य सरकार के संस्थानों और उद्योगों में उपलब्ध सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के क्रॉस उपयोग के माध्यम से मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना;

iv. अंतर-मंत्रालयी अभिसरण को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिससे सभी क्षेत्रों में कौशल पहलों का निर्बाध निष्पादन सुनिश्चित हो सके;

v. कौशल भारत डिजिटल हब (एसआईडीएच) प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूर्व-पंजीकरण, परामर्श, वित्तीय योगदान, लचीले प्रशिक्षण वितरण मॉडल को कवर करने वाला उम्मीदवार-केंद्रित दृष्टिकोण;

vi. बेहतर प्रशिक्षण जीवनचक्र प्रबंधन, आधार प्रमाणित नामांकन और बायोमेट्रिक उपस्थिति। प्रशिक्षण केवल प्रमाणित प्रशिक्षकों के माध्यम से और मूल्यांकन प्रमाणित मूल्यांकनकर्ताओं के माध्यम से ही किया जा सकेगा।

*****